1398
18/05/11

No. I.12011/11/2009-Org 521
Directorate General, ITBP
MHA/Government of India
Block-II, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110 003.

Dated: 16 May, 2011

Memorandum

Subject: Notification of Indo-Tibetan Border Police Force, Private Secretary, Section Officer and Assistant (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2011.

A copy of Indo-Tibetan Border Police Force, Private Secretary, Section Officer and Assistant (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2011 after having been published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR 255 (E) dated 25-3-2011 is sent herewith for information and necessary action at your end please.

2. All IsG (Frontier HQ) are requested to kindly circulate a copy of above notifications to all Units, Sector HQs and Training Centers under their ops/administrative control.

Encl: As above.

16/5/11
(R.K. Sah)
Dy Inspector General (Org)

To
1. All Inspectors General (Frontier HQ)/ IG (Training), ITBP.
2. Director, ITBP Academy, Mussoorie.
3. DIG, CIJW/NITSRDR/NTCD & A, ITBP.
4. Commandants B.H. Delhi/ Composite Hospital Chandigarh and Itanagar.
5. Sh. Jagmal Singh, Supdt. (Leg-I), Ministry of Law, Govt. of India, 7th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi with a copy of above notification for favour of information please.

Internal:

1. Dy. Inspector General/JAG, Dte Genl, ITBP.
2. Dy. Inspector General (Training), Dte Genl, ITBP.
3. Senior Administrative Officer (Pers), Dte Genl, ITBP
4. Senior Administrative Officer (Estt.), Dte Genl, ITBP
5. Second-in-Command, Recruitment Cell, Dte Genl, ITBP.
6. Dy. Commandant (IT), Dte Genl. with the request to upload above notification in MHA/ITBP website.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 25, 2011/चैत्र 4, 1933
No. 158] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 25, 2011/CHAITRA 4, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2011

सा.का.नि. 255(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी और सहायक भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी और सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी और सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना:**— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उनके वेतनमान वे होंगे, जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोडे गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निजी सचिव	02* (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड– 2, 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4600 रू0	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(7)
लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)	(12)
प्रोन्नति	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल में कार्य कर रहे ऐसे वैयक्तिक सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1.**— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2.**— प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1.1.2006/वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:– 1. महानिरीक्षक भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. अनुभाग अधिकारी	**12*** (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह **'ख'** राजपत्रित, (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड– 2, 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4600 रू0	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति	**<u>प्रोन्नति द्वारा :</u>** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल में कार्य कर रहे ऐसे सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1.**— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2.**— प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1.1.2006/वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:– 1. महानिरीक्षक भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक	23 * (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह **'ख'** अराजपत्रित, (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड– 2, 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4200 रू0	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
प्रोन्नति	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल में कार्य कर रहे ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1.**— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2.**— प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1.1.2006/वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:– 1. महानिरीक्षक भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. आई-12011/11/2009-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2011

G.S.R. 255(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Private Secretary, Section Officer and Assistant Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Private Secretary, Section Officer and Assistant in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Private Secretary, Section Officer and Assistant, Group 'B' posts Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.**— The number of said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc..**— The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

1094 GI/11-2

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service(Pension) Rules, 1972.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Private Secretary	02* (2011) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B', Gazetted (Ministerial).	Pay band - 2, Rs. 9300-34800 and Grade Pay Rs. 4600.	Selection post.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.
(7)
Not applicable.

Education and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(12)
By Promotion: Personal Assistants working in the Indo-Tibetan Border Police Force with five years' regular service in the grade. **Note 1.**– Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2.**– For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Chief Administrative Officer or Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Section Officer	12* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Gazetted, (Ministerial).	Pay band-2, Rs. 9300-34800 and Grade Pay Rs. 4600.	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion.

(12)
By Promotion: Assistants working in the Indo-Tibetan Border Police Force with five years' regular service in the grade.

Note 1.– Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.– For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Chief Administrative Officer or Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant	23* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, (Ministerial).	Pay band-2, Rs. 9300-34800 and Grade Pay Rs. 4200.	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	Promotion.

(12)

By Promotion :

Upper Division Clerks working in the Indo-Tibetan Border Police Force with ten years' regular service in the grade.

Note 1.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.– For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be

deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.	
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for consisting of:- 1. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. I-12011/11/2009-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

1099 GI/11-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.